


XIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 23 एवं 34-दो/10

जिला - मिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.7.15	<p>ये निगरानियां अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 115/08-09/अपील एवं 52/08-09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-9-09 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने, पक्षकार एक होने तथा अधिवक्ताओं द्वारा एक साथ बहस किए जाने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक ही आदेश से किया जा रहा है ।</p> <p>2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।</p> <p>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए गए हैं ।</p> <p>4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है अतः उसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।</p> <p>5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आलोच्य भूमि पर गलत प्रविष्टि करके पी. डब्लू.डी. का नाम दर्ज किया गया और पी.डब्लू.डी. का नाम</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों व अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>लिखा होने से एवं लोक निर्माण विभाग के उपयोग में न होने से दिनांक 9.12.96 के आदेश द्वारा कलेक्टर ने दूरसंचार विभाग को वंटित कर दिया गया जिसकी शिकायत होने पर कलेक्टर भिण्ड ने अपने आदेश दिनांक 25.1.99 द्वारा वंटन निरस्त करने के आदेश दिए गए और प्रकरण रिकार्ड दुरस्ती हेतु तहसीलदार को वापिस भेजा गया । कलेक्टर के 25.1.99 के आदेश के विरुद्ध कोई अपील निगरानी नहीं हुए इस कारण उक्त आदेश अंतिम होकर बंधनकारी था जिसकी उपेक्षा करते हुए जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों ने पारित किए हैं उनको अपर आयुक्त ने अपास्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित, न्यायिक और विधिसम्मत होकर प्रक्रिया के अनुसार होने से पुष्टि योग्य है ।</p> <p>परिणामस्वरूप यह दोनों निगरानियां निरस्त की जाती हैं तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हों ।</p>	 सदस्य






न्य विा ल्य- माननोय रवेन्धु बोर्ड, संभाग, रवा लियर पोठो, रवा लियर

Handwritten notes in the left margin: "समस्त मंत्रिमन्त्रालय 17-11-18 09:30 AM श्रीमान् राजेश्वर" (All Ministries, 17-11-18 09:30 AM, Shri. Rajeshwar)

1. नरेन्द्र कुमार जैन
2. सतीश जैन
3. प्रमोद कुमार जैन
4. सुकमाल जैन
5. पप्पू जैन उर्फ सुनील जैन
6. महेश जैन उर्फ श्रीलाल जैन
7. प्रेमचन्द्र जैन पुत्रगण स्व. वंशीधर जैन
निवासी - ग्राम ऊमरी तहसील व जिला भिण्ड
8. श्रीमती मीरा जैन पत्नी मदन जैन पुत्र स्व. वंशीधर जैन
निवासी - ग्राम ऊमरी तहसील व जिला भिण्ड

Handwritten signature and date: "गणेश 21/11/010 (N.C./M)"



- ✓3- अजय कुमार पुत्रगण स्व. वंशीधर जैन
- ✓4- श्रीमती मोतीरानी देवा रजिन्द्र कुमार जैन
निवासी गणेश ग्राम ऊमरी जिला भिण्ड 8 मपू 8
- 5- कु. पप्पू पुत्रो श्री रजिन्द्र जैन
- 6- श्रीमती मोतीरानी देवा महावीर जैन
- 7- राजू 6- नोलेश 7- दिलीप 8- आनंद कुमार
- 11- सेतू पोषो पुत्रगण महावीर प्रसाद जैन
- 12- कु. मैना 13- कु. गुड्डो पुत्रगण-महावीर प्रसाद जैन
- 14- कु. विद्वती देवी 15- कु. बटिनिधा पुत्रगण गुलाबचन्द जैन
- 16- कल्याण 17- गोपीलाल 18- आनन्द पुत्रगण गुलाब चन्द जैन
- 19- सुभाष चन्द्र 20- लखतमल 21- अशोक पुत्रगण नैमोचंद जैन

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

